79/15 कमलदास - महेश कुमार

दिनांक	आज्ञा पत्र	
21.5.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14.6.24 को पेश हो।	
14.6.24	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट / रेस्पो० उपस्थित, पीठासीन अधिकारी महोदय आज अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 21.6.24 को पेश हो।	
21.6.24	पत्रावली पेश। वकील [illegible] बहस वास्ते दिनांक 2.7.24 को पेश होवे	[illegible]
02/07/24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18.7.24 को पेश हो। [illegible]	
18.7.24	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [illegible]	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 79/2015

1 कमलदास शिष्य स्व. रतनदास उर्फ रत्तीदास जाति स्वामी उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सांखु हनुमानगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 महेश कुमार पुत्र रामबक्ष जाति जाट निवासी ग्राम सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

2 सुभाष पुत्र कजोड़मल जाति सैनी निवासी सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

3 हरलाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम चूडीमियान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

4 बोयताराम पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी ग्राम चूडीमियान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

5 शीशराम पुत्र स्व. श्री मनसाराम जाति जाट,

6 दयाराम पुत्र स्व. मनसाराम जाति जाट

निवासीयान ग्राम चूडीमियान लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

7 तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भू–धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

अपील अन्तर्गत 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट विरूद्ध निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर उनवानी प्रकरण कमलदास बनाम महेश वगै. राजस्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 60/2014 आदेश दिनांक 13.04.2015 द्वारा खारिज किया उसको निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रतिवेदन।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील संख्या 80/2015

1 कमलदास शिष्य स्व. रतनदास उर्फ रत्तीदास जाति स्वामी उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सांखु हनुमानगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 महेश कुमार पुत्र रामबक्ष जाति जाट निवासी ग्राम सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

2 सुभाष पुत्र कजोड़मल जाति सैनी निवासी सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

3 हरलाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम चूडीमियान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

4 बोयताराम पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी ग्राम चूड़ीमियान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

5 शीशराम पुत्र स्व. श्री मनसाराम जाति जाट,

6 दयाराम पुत्र स्व. मनसाराम जाति जाट

निवासीयान ग्राम चूड़ीमियान लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

7 तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भू–धारक राजस्थान सरकार।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी
एक्ट विरूद्ध निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
उनवानी प्रकरण कमलदास बनाम महेश वगै.
राजस्व वाद संख्या 83/2014 को आदेश
दिनांक 13.04.2015 द्वारा खारिज किया
उसको निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रतिवेदन।

उपस्थिति :

1. श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बनवारी लाल बरबड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–18.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा 60/2014 व 83/2014 में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी कमलदास ने एक दावा दिनांक 19.06.2014 को मय अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन के पेश किया गया जो वाद संख्या मुकदमा नम्बर 83/2014 व टी आई संख्या 60/2014 दर्ज रजिस्टर हुई तथा विचारण न्यायालय में दिनांक 19.06.2014 को रेस्पोडेन्ट के खिलाफ अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 240, 241, 242, 243, 244/1 वाके ग्राम चूडीमियान में आगामी तारीख तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त दावा व आवेदन में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 24.07.2014 को एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के तहत पेश किया जिसमें प्रतिवादीगण ने यह उज्र लिया है कि पहले एक दावा दिनांक 17.01.2014 को अदज हाजरी में खारिज कर दिया गया, इसलिये आदेश 09 नियम 09 के तहत यह दावा चलने योग्य नहीं है इसलिए खारिज किया जावें। इसका जवाब वादी की ओर से विचारण न्यायालय में दिनांक 09.10.2014 को पेश किया गया तथा दोनों पक्षों को सुनकर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी महेश वगैरह का आवेदन आदेश 09 नियम 09 सीपीसी का स्वीकार करते हुये मूल दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं टी.आई का आवेदन को विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.04. 2015 के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अलग–अलग अपीले प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि पूर्व में जो दावा पेश किया था वह तनकीयात बनाई जाकर मेरिट पर तय नहीं हुआ है अदम हाजरी में खारिज हुआ है। यदि कानूनन कोई दावा पूर्व में अदम हाजरी में खारिज हुआ है, तो दूसरा नया कौज ऑफ एक्शन पर दावा पेश करने में बाधा नहीं है क्योंकि जो दावा अदम हाजरी में खारिज हुआ है व मेरिट पर तय नहीं हुआ है। उसका पश्चातवर्ती वाद में रेजूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीर ए आई आर 1966 सुप्रीम कोर्ट पेज 1332 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अदम हाजरी में खारिज हुये वाद रेजूडिकेटा का प्रभाव नही रखता है व पुनः नये कॉज ऑफ एक्शन में दावा किये जाने पर विधि की कोई वर्जना नहीं है। दावा मात्र स्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष बाबत पेश किया था एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए जब कभी नया विवादमूल उत्पन्न हो वादी नया वाद ला सकता है कानून में कोई वर्जना नहीं है। विचारण न्यायालय की यह विवेचना भी विधि विरूद्ध है कि पूर्व वाद को यदि वादी ने रेस्टोर नहीं कराया इस कारण दूसरा दावा नहीं कर सकता है परन्तु विचारण न्यायालय ने यह दावा आदेश 09 रूल 8 के तहत खारिज नहीं किया गया था। यदि आदेश 09 रूल 8 के तहत दावा खारिज होता है तो वादी दूसरा दावा नहीं ला सकता। परन्तु इस पूर्व प्रकरण में दिनांक 13.01.2014 को न केवल वादी गैर हाजिर था बल्कि प्रतिवादी भी गैर हाजिर था। ऐसी सूरत में आदेश 09 रूल 8 व आदेश 09 नियम 09 के नियम लागू नहीं होते है, इसलिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.04.2015 विधि विरूद्ध होकर प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी के आवेदन 09 नियम 09 सीपीसी मे मुख्य आधार यह है कि वादी की ओर से पूर्व से प्रस्तुत वाद दिनांक 13.01.2014 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है जिसे दुबारा नंबर पर नही लिया गया है बल्कि नया वाद पेश किया है जो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

विधि विरूद्ध है वादी को वाद कारण हासिल नहीं है। वादी का अभिकथन है कि पूर्व वाद मेरिट से तय नहीं हुआ, स्थायी निषेधाज्ञा वाद दुबारा पेश हो सकता है। पत्रावली अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी कमलदास की ओर से एक वाद नम्बर 85/2013 कमलदास बनाम बोयताराम आदि 13.05.2013 को प्रस्तुत किया गया था जो 13.01.2014 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने संबंधी कोई तथ्य रिकार्ड पर नहीं आये है। पूर्व वाद में प्रस्तुत वाद में वर्णित आराजी से संबंन्धित ही है। स्वयं वादी ने अपने जवाब में भी पूर्व में वाद पेश करना व अदम हाजरी में खारिज होने संबंधी तथ्य अपरोक्ष स्वीकार किये है। इससे पूर्व में वादी की ओर से इन्ही खसरेजात के संबंध में वाद पेश करना व 13.01.14 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो जाना साबित होता है। आदेश 09 नियम 09 सिविल प्रकिया संहिता के तहत वादी के व्यतिक्रम के कारण खारिज वाद को दुबारा पेश करने पर वर्जन है। उक्त प्रावधान प्रस्तुत मामले पर लागू होते है। वादी के व्यतिकम पर ही पूर्व अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है वादी ने उक्त खारिज वाद को पुनः नम्बर पर लेने का आवेदन नहीं किया है बल्कि नया वाद पेश किया है जो विधि विरूद्ध है वादी को वाद कारण हासिल नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी के आवेदन 09 नियम 09 सीपीसी मे मुख्य आधार यह है कि वादी की ओर से पूर्व से प्रस्तुत वाद दिनांक 13.01.2014 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है जिसे दुबारा नंबर पर नही लिया गया है बल्कि नया वाद पेश किया है जो विधि विरूद्ध है वादी को वाद कारण हासिल नहीं है। वादी का अभिकथन है कि पूर्व वाद मेरिट से तय नहीं हुआ, स्थायी निषेधाज्ञा वाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

दुबारा पेश हो सकता है। पत्रावली अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी कमलदास की ओर से एक वाद नम्बर 85/2013 कमलदास बनाम बोयताराम आदि 13.05.2013 को प्रस्तुत किया गया था जो 13.01.2014 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने संबंधी कोई तथ्य रिकार्ड पर नहीं आये है। पूर्व वाद में प्रस्तुत वाद में वर्णित आराजी से संबंन्धित ही है। स्वयं वादी ने अपने जवाब में भी पूर्व में वाद पेश करना व अदम हाजरी में खारिज होने संबंधी तथ्य अपरोक्ष स्वीकार किये है। इससे पूर्व में वादी की ओर से इन्ही खसरेजात के संबंध में वाद पेश करना व 13.01.14 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो जाना साबित होता है। आदेश 09 नियम 09 सिविल प्रकिया संहिता के तहत वादी के व्यतिक्रम के कारण खारिज वाद को दुबारा पेश करने पर वर्जन है। उक्त प्रावधान प्रस्तुत मामले पर लागू होते है। वादी के व्यतिक्रम पर ही पूर्व अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है वादी ने उक्त खारिज वाद को पुनः नम्बर पर लेने का आवेदन नहीं किया है बल्कि नया वाद पेश किया है जो विधि विरूद्ध है वादी को वाद कारण हासिल नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम, धो[illegible])
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

Scanned with OKEN Scanner